

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या

रजू दिनांक

निर्णय दिनांक

18/2018

23.05.2018

05.02.2021

1. लल्लुराम पुत्र जालिमसिंह जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र ख्याली
2. किरोडी पुत्र लालारा
3. मिश्रो देवी बेवा लालाराम
4. लालसिंह पुत्र छुट्टन
5. दयानन्द पुत्र उमराव
6. जयप्रकाश पुत्र मीरसिंह
7. लालाराम पुत्र रामजीलाल जातियान अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक :- 05.02.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :-

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 433 रकबा 0.47 है0 का 1/8 भाग वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर में मिन प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी वो कृषि कार्य हेतु निर्मित मकानात स्थित है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रार्थी के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। तथा मिन प्रार्थी ने आराजी में अपने कृषि कार्य के उपकरण रखने व रिहायस करने हेतु मकानात का निर्माण किया हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है।
3. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी में फसल काश्त करने हेतु व अपनी आराजी में कृषियंत्र रखने व आराजी में निर्मित बोरिंग व रिहायस हेतु निर्मित मकानात में आने जाने के लिये के लिये कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं होने के कारण मिन प्रार्थी अपनी आराजी में टैक्टर, बैलगाडी, उटगाडी व अन्य वाहन इत्यादि वो खेती का सामान व साधन लाने, ले जाने में असमर्थ है।
4. यह है कि अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 7 की आंराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 0.13 है0, 424 रकबा 0.18 है0, 425 रकबा 0.06 है0, 426 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम पलावा के तरफ पश्चिम में स्थित आम रास्ता से मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी की उत्तरी डोल से अपनी आराजी में व आराजी में निर्मित कृषियंत्र रखने व रिहायस हेतु निर्मित मकानात व काश्त कार्य हेतु आवागमन करता है, लेकिन उक्त रास्ता रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने के कारण, फसल बोने के समय अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को आवागमन नहीं करने देते है तथा आमादा लडाई झगडा हो जाते है इसलिए मिन प्रार्थी को 10 फुट चौडा रास्ता, अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426 की उत्तरी डोल के साथ नया रास्ता कायम किया जावे। जिस रास्ता में अप्रार्थीगण की जो भूमि लगती है, उसके बदले मिन प्रार्थी अपनी आराजी में से भूमि देने को या उक्त रास्ता की भूमि के बदले डी.एल सी रेट की दुगना राशि देने को तैयार है।

४३-
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि -

यह है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थी की आराजी 433 रकबा 0.47 है 0 का 1/8 भाग, में कृषि कार्य हेतु व आराजी में कृषि यंत्र रखने हेतु निर्मित मकान व रिहायसी मकानात वाके ग्राम पलावा तक पहुचने के लिये, अप्रार्थीगण की आरी खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर में से 10 फुट चौडा रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं० 01 लगा 0 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सरजीत यादव एवं अप्रार्थी सं० 7 की ओर से अधिवक्ता श्री बालकृष्ण भारद्वाज उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2069-72, गिरदावरी सम्वत् 2073 पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

ग्राम पलावा का खसरा नम्बर 433 रकबा 0.47 है 0 का 1/8 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 433 में आने-जाने के लिए ख० नं० 423, 424, 425, 426 में से 10 फुट चौडा रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नहीं है। ख० नं० 433 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 433 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख० नं० खसरा नम्बर 433 में आने-जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख० नं० 423, 424, 425 में से ही उपलब्ध है।

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 433 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 423, 424, 425 की दक्षिण डोल के साथ साथ 10 फुट चौडा रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने-जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने-जाने, फसल की जुताई-बुवाई-कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 433 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 423, 424, 425 की दक्षिण डोल से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 433 की बरानी 1 किस्म है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग-उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

-:: आदेश ::-

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पलावा, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 423, 424, 425 में से दक्षिण डोल के साथ साथ में भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में 10 फीट, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 433 के कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई खातेदार काश्तकारो को भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ट A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट-ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

24/8/21
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
मुण्डावर (अलवर) राज०
मुण्डावर (अलवर) राज०